भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 597**
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

**पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन सेंटर**

**597. डॉ. सुजय विखे पाटील:**
**प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:**
**श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:**
**डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:**
**श्री कृष्णपाल सिंह यादव:**
**श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(क)** प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना की प्रगति का ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितने सेंटर स्वीकृत किए गए हैं और कितने केन्द्र आरंभ किए गए हैं;

**(ख)** इन इनक्यूबेशन सेंटरों के लिए कुल कितना परिव्यय आबंटित किया गया है और ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन सेंटरों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

**(ग)** पीएमएफएमई योजना से सम्बन्धित क्षमता निर्माण, ब्रांडिग और विपणन घटकों का ब्यौरा क्या है और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग ले चुके व्यक्तियों और उद्यमों की संख्या कितनी है;

**(घ)** वर्ष 2021-22 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के उपरांत इसके अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के संवितरण एवं उपयोग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

**(ङ)** इस संबंध में ऐसे दावों का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्रवाई आरंभ की गई है और ऐसे विभिन्न खाद्य उत्पाद वर्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं; और

**(च)** क्या मंत्रालय ने पीएलआईएसएफपीआई को वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों और बाजार की मांगों के अनुरूप बनाने के लिए उद्योग विशेषज्ञों, अनुसंधान संस्थानों अथवा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा करंदलाजे)**

**(क) और (ख):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने दिनांक 31 जनवरी 2024 तक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत 25 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में 205.95 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 76 इंक्यूबेशन केंद्रों को अनुमोदित किया है। इनमें से 5 इन्क्यूबेशन केंद्र को प्रारंभ/उनका उद्घाटन किया जा चुका हैं। प्रारंभ/उद्घाटन किए गए ऐसे केंद्रों सहित अनुमोदित इन्क्यूबेशन केंद्र की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

**(ग):** पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत, लाभार्थियों, प्रशिक्षकों (मास्टर प्रशिक्षकों, जिला स्तरीय प्रशिक्षकों) और जिला रिसोर्स पर्सन्स (डीआरपी) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दिनांक 31 जनवरी 2024 तक, व्यक्तियों और उद्यमों सहित **63,099** लाभार्थियों , 526 मास्टर ट्रेनरों, 1058 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों

और 1953 जिला रिसोर्स पर्सनों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लिया है । राज्य-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

पीएमएफएमई योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को बाजार अध्ययन और उत्पाद मानकीकरण, पैकेजिंग सामग्री, गुणवत्ता नियंत्रण और उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालन, वेयरहाउसिंग और स्टोरेज किराया, विपणन और प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

**(घ) और (ङ):** वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 584.3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अब तक 41 पात्र मामलों में वितरित की जा चुकी है। संवितरण की स्थिति इस प्रकार है:

| **खंड** | **वितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ ₹)** |
|---|---|
| प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ | 137.71 |
| रेडी टू कुक/रेडी टू ईट | 362.35 |
| समुद्री उत्पाद | 72.31 |
| मोत्ज़रेला चीज | 8.91 |
| जैविक उत्पाद | 3.02 |
| **कुल** | **584.30** |

**(च):** पीएलआईएसएफपीआई के प्रतिपादन के दौरान, इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों और बाजार की मांगों के साथ संरेखित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए थे। इस प्रक्रिया में उद्योग विशेषज्ञों, बड़े पैमाने के निर्माताओं और एसएमई आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव शामिल था। योजना दिशानिर्देश तैयार करते समय इनपुट इकट्ठा करने के लिए एक व्यापक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया था। योजना दिशानिर्देशों की निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ नियमित जुड़ाव के रूप में यह सहयोगात्मक प्रयास जारी है।

*****

**अनुबंध- I**

**"पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत इंक्यूबेशन सेंटर" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 597 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**पीएमएफएमई योजना के तहत अब तक अनुमोदित सामान्य इंक्यूबेशन केंद्रों का राज्य-वार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य | ज़िला | मेजबान संस्थान | अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप | दक्षिण अंडमान | मत्स्य पालन विभाग, ए एंड एनआई | 1.592 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | तिरुपति | आईआईटी-तिरुपति | 2.6075 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, अनाकापल्ले में | 3.50 |
| 4. | असम | सोनितपुर | तेजपुर विश्वविद्यालय, सोनितपुर | 2.75 |
| 5. | बिहार | नालन्दा | उत्कृष्ट सब्जी केंद्र, चंडी, नालंदा (बागवानी निदेशालय) | 2.225 |
| 6. | बिहार | वैशाली | उत्कृष्ट फल केंद्र, देशरी , वैशाली (बागवानी निदेशालय, बिहार) | 2.58 |
| 7. | छत्तीसगढ | बस्तर | केवीके जगदलपुर , आईजीकेवी | 2.75 |
| 8. | छत्तीसगढ | रायपुर | एफटीसी, आईजीकेवीवी, रायपुर | 2.75 |
| 9. | दिल्ली | झंडेवाला | डीएसईयू, झंडेवालान | 2.015 |
| 10. | दिल्ली | वजीरपुर | डीएसईयू, वज़ीरपुर | 2.655 |
| 11. | गोवा | दक्षिण गोवा | केवीके-दक्षिण गोवा, कृषि निदेशालय | 2.033 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर | 2.59 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | लाहौल और स्पीति | केवीके- कुकुमसेरी , लाहौल और स्पीति (सीएसके एचपी कृषि विश्वविद्यालय) | 2.522 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | डॉ. वाईएसपीयूएचएफ, नौणी | 3.71 |
| 15. | जम्मू एवं कश्मीर | अनंतनाग | जेकेएचपीएमसी, अनंतनाग | 2.69 |
| 16. | जम्मू एवं कश्मीर | बारामूला | जेकेएचपीएमसी, दोआबगढ़ | 2.43 |
| 17. | जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | जेकेएचएमएमसी, नरवाल | 2.68 |
| 18. | कर्नाटक | कोलार | आईसीएआर- केवीके- कोलार | 3.36 |
| 19. | कर्नाटक | चामराजनगर | केवीके चामराजनगर | 1.43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | कर्नाटक | चिक्कबल्लपुर | केवीके चिंतामणि | 2.085 |
| 21. | कर्नाटक | चिक्कामगलुरु | सीओएच, मुदिगेरे | 1.98 |
| 22. | कर्नाटक | चित्रदुर्ग | सीओएच, हिरियूर (यूएएचएस, शिवमोग्गा) | 1.46 |
| 23. | कर्नाटक | धारवाड़ | यूएएस, धारवाड़ | 2.37 |
| 24. | कर्नाटक | हसन | सीओए, हसन | 2.09 |
| 25. | कर्नाटक | हावेरी | सीओएचईएफटी, देवीहोसुर | 2.40 |
| 26. | कर्नाटक | मंड्या | ज़र्स - जेगरी पार्क (यूएएस, बैंगलोर) | 1.59 |
| 27. | कर्नाटक | मैसूर | सीएसआईआर-सीएफटीआरआई मैसूर | 2.02 |
| 28. | कर्नाटक | रायचुर | यूएएस, रायचूर | 3.07 |
| 29. | कर्नाटक | रामानगर | केवीके- रामनगर | 2.64 |
| 30. | कर्नाटक | शिवमोगा | यूएएचएस, शिवमोग्गा | 2.25 |
| 31. | कर्नाटक | विजयपुरा | कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ अपने केवीके-इंडी, विजयपुरा में | 3.42 |
| 32. | केरल | त्रिशूर | केरल कृषि विश्वविद्यालय | 2.75 |
| 33. | मध्य प्रदेश | ग्वालियर | सीओए, ग्वालियर, आरवीएसकेवीवी | 3.54 |
| 34. | मध्य प्रदेश | मुरैना | केवीके, मुरैना , आरवीएसकेवीवी | 3.35 |
| 35. | मध्य प्रदेश | सीहोर | सीओए, सीहोर , आरवीएसकेवीवी | 2.98 |
| 36. | महाराष्ट्र | नागपुर | एमएच एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर | 2.60 |
| 37. | महाराष्ट्र | परभनी | खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी | 3.29 |
| 38. | महाराष्ट्र | पुणे | शारदाबाई पवार महिला कॉलेज, बारामती, पुणे (गैर-सरकारी) | 1.37 |
| 39. | मेघालय | री भोई | आईसीएआर- केवीके, री भोई | 1.78 |
| 40. | मिजोरम | आइजोल | एमएफपीआरटीसी, आइजोल | 2.75 |
| 41. | नागालैंड | दीमापुर | नागालैंड विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान और ग्रामीण विकास स्कूल | 2.43 |
| 42. | ओडिशा | गंजम | मत्स्य पालन महाविद्यालय, ओयूएटी | 1.85 |
| 43. | पंजाब | पटियाला | कृषि विज्ञान केंद्र, पटियाला, (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय) | 3.45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44. | राजस्थान | अलवर | कुम्स,अलवर | 3.26 |
| 45. | राजस्थान | बाड़मेर | केवीके, दांता, बाड़मेर | 2.62 |
| 46. | राजस्थान | भीलवाड़ा | कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा | 2.74 |
| 47. | राजस्थान | जयपुर | केयूएमएस, जयपुर | 2.41 |
| 48. | राजस्थान | जोधपुर | केयूएमएस, जोधपुर | 3.055 |
| 49. | राजस्थान | कोटा | केवीके, कोटा , एयू | 3.004 |
| 50. | राजस्थान | टोंक | कुम्स, टोंक | 2.58 |
| 51. | राजस्थान | उदयपुर | कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर | 3.45 |
| 52. | सिक्किम | दक्षिण जिला | एसआईआरडीपीआर, करफैक्टर | 2.57 |
| 53. | सिक्किम | दक्षिण सिक्किम | एमएसएमई प्रभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार | 2.36 |
| 54. | तमिलनाडु | कोयंबटूर | टीएनएयू, कोयंबटूर | 2.56 |
| 55. | तमिलनाडु | मदुरै | केवीके मदुरै | 2.53 |
| 56. | तमिलनाडु | तंजावुर | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय, तिरुमलाईसमुद्रम , तंजावुर (गैर सरकारी) | 1.19 |
| 57. | तमिलनाडु | तिरुचिरापल्ली | आईसीएआर-एनआरसी केला | 2.50 |
| 58. | तेलंगाना | हैदराबाद | पीजेटीएसएयू, एआईएच | 2.69 |
| 59. | तेलंगाना | जगतियाल | आरएआरएस, जगतियाल | 3.315 |
| 60. | तेलंगाना | वारंगल ग्रामीण | आरएआरएस वारंगल | 2.43 |
| 61. | त्रिपुरा | दक्षिण त्रिपुरा | त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, बेलोनिया | 2.65 |
| 62. | उत्तर प्रदेश | आगरा | जीएफएसटीसी, आगरा | 3.191 |
| 63. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ | जीएफएसटीसी, अलीगढ | 3.42 |
| 64. | उत्तर प्रदेश | अयोध्या | जीएफएसटीसी, अयोध्या | 3.36 |
| 65. | उत्तर प्रदेश | बरेली | जीएफएसटीसी, बरेली | 3.28 |
| 66. | उत्तर प्रदेश | बस्ती | जीएफएसटीसी, बस्ती | 3.26 |
| 67. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | जीएफएसटीसी, गोरखपुर | 3.397 |
| 68. | उत्तर प्रदेश | झांसी | जीएफएसटीसी, झाँसी | 3.297 |
| 69. | उत्तर प्रदेश | कानपुर देहात | जीएफपीसीसी, कानपुर देहात | 3.45 |
| 70. | उत्तर प्रदेश | कौशांबी | जीएफपीसीसीआर , कौशांबी | 3.39 |
| 71. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | जीएफएसटीसी, लखनऊ | 3.305 |
| 72. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | जीएफएसटीसी, मेरठ | 3.355 |
| 73. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | जीएफपीसी, मिर्ज़ापुर | 3.43 |
| 74. | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | जीएफपीसीसी, सहारनपुर | 3.37 |
| 75. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | जीएफएसटीसी, वाराणसी | 3.415 |
| 76. | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | जीबीपीयूएटी, पंतनगर | 2.72 |

**"पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत इंक्यूबेशन सेंटर" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 597 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने वाले मास्टर ट्रेनर, जिला स्तरीय ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स और लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या**

| क्र. सं. | राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र | मुख्य प्रशिक्षक | जिला स्तरीय प्रशिक्षक | डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स | लाभार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 3 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 18 | 60 | 26 | 7246 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | असम | 20 | 45 | 51 | 8438 |
| 5 | बिहार | 12 | 71 | 28 | 306 |
| 6 | चंडीगढ़ | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 7 | छत्तीसगढ | 33 | 40 | 72 | 2505 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 17 | 4 | 13 | 338 |
| 10 | गोवा | 9 | 0 | 12 | 968 |
| 11 | गुजरात | 14 | 0 | 18 | 43 |
| 12 | हरियाणा | 14 | 14 | 41 | 353 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 11 | 26 | 11 | 489 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 10 | 13 | 17 | 65 |
| 15 | झारखंड | 7 | 0 | 41 | 0 |
| 16 | कर्नाटक | 26 | 39 | 313 | 752 |
| 17 | केरल | 23 | 64 | 47 | 755 |
| 18 | लद्दाख | 9 | 0 | 2 | 15 |
| 19 | लक्षद्वीप | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 18 | 170 | 73 | 3465 |
| 21 | महाराष्ट्र | 30 | 123 | 744 | 17673 |
| 22 | मणिपुर | 9 | 0 | 16 | 184 |
| 23 | मेघालय | 21 | 16 | 14 | 733 |
| 24 | मिजोरम | 8 | 5 | 10 | 27 |
| 25 | नागालैंड | 8 | 40 | 86 | 1568 |
| 26 | ओडिशा | 20 | 93 | 26 | 6544 |
| 27 | पुदुचेरी | 5 | 3 | 9 | 542 |
| 28 | पंजाब | 22 | 32 | 68 | 643 |
| 29 | राजस्थान | 19 | 39 | 54 | 115 |
| 30 | सिक्किम | 12 | 2 | 0 | 666 |
| 31 | तमिलनाडु | 30 | 15 | 46 | 224 |
| 32 | तेलंगाना | 13 | 103 | 26 | 6569 |
| 33 | त्रिपुरा | 13 | 24 | 58 | 1354 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 35 | 0 | 0 | 436 |
| 35 | उत्तराखंड | 22 | 13 | 23 | 0 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल योग** | **526** | **1058** | **1953** | **63,099** |